राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नादौन स्थित रैल, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर के छात्र निधि लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 04/2012 से 03/2015

भाग–1

1. गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सत्यापन करने के उपरान्त अनिर्णीत पैरों की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार से पाई गईः–

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2005 से 03/2008

1.	पैरा–4(क)	अनिर्णीत
2.	पैरा–5	अनिर्णीत
3.	पैरा–6(क)	अनिर्णीत
4.	पैरा–6(ख)	अनिर्णीत
5.	पैरा–6(ग)	अनिर्णीत
6.	पैरा–6(फ)	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2008 से 03/2012

1.	पैरा–4(क)	निर्णीत	पैरे की नवीनतम स्थिति इस प्रतिवेदन के पैरा–4 में पुनः प्रारूपति।
2.	पैरा–4(ख)	निर्णीत	सावधि जमा में निवेशित राशि दिनांक 31.3.2015 को रोकड़ वही में जमा कर दी गई।
3.	पैरा–5(क)	अनिर्णीत	
4.	पैरा–5(ख)	निर्णीत	₹234351 की राशि दिनांक 30.3.2013 को छात्र कल्याण निधि खाता संख्या 20150006181 में जमा कर दी गई थी। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया।
5.	पैरा–6	अनिर्णीत	
6.	पैरा–7	अनिर्णीत	
7.	पैरा–8	अनिर्णीत	
8.	पैरा–9	निर्णीत	₹26750 दिनांक 10.10.2012 को छात्र कल्याण निधि में जमा कर दी गई थी एवं अग्रिम रजिस्टर तैयार कर लिया था। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा किया।
9.	पैरा–10(क)(ख)	अनिर्णीत	
10.	पैरा–11(क)एवं(ख)	अनिर्णीत	

11.	पैरा–12	अनिर्णीत	
12.	पैरा–13	अनिर्णीत	
13.	पैरा–14	अनिर्णीत	
14.	पैरा–15	निर्णीत	रसीदों का रख–रखाव इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में किया जा रहा है। अतः पुष्टि के उपरान्त पैरे का निपटारा कर दिया।
15.	पैरा–16	अनिर्णीत	

भाग–2

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नादौन का वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित है, श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी व श्री नरेन्द्र कुमार आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 31.7.2015 से 5.8.2015 तक रैल में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वर्ष	आय	व्यय
2012–13	07/2012	03/2013
2013–14	07/2013	08/2013
2014–15	07/2014	10/2014

अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई है, के लिए जिम्मेवार नहीं है। विभाग की जिम्मेवारी केवल विस्तृत जांच हेतु चयनित मासों तक सीमित है।

अंकेक्षण अवधि में निम्नलिखित प्रधानाचार्यों ने आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में कार्य किया।

क्र0 सं0	प्रधानाचार्य का नाम	अवधि
1.	श्री गोवर्धन धारी	01.04.2012 से 30.04.2013
2.	श्री प्यार चन्द	01.05.2013 से 11.07.2013
3.	श्री देश राज धीमान	12.07.2013 से 31.03.2015

3. अंकेक्षण शुल्क :—

अवधि 04/2012 से 03/2015 तक के छात्र निधि लेखों के अंकेक्षण शुल्क का आकलन ₹9000 किया गया। अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 107 दिनांक 5.8.2015 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–9 के नाम रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु प्रधानाचार्य से अनुरोध किया गया। अंकेक्षण शुल्क की राशि संस्था द्वारा बैंक ड्राफ्ट संख्या: 563457 दिनांक 5.8.2015 बैंक शाखा कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक, द्वारा प्रेषित कर दी गई।

4. वित्तीय स्थिति :—

(क) संस्था के छात्र निधियों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है एवं इसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "क"** में दिया गया है:—

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय	ब्याज	सावधि जमा राशि	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2012-13	997291	908238	41202	-	1946731	780116	1166615
2013-14	1166615	753118	47866	-	1967599	653285	1314314
2014-15	1314314	547894	53453	1579060	3494721	425079	3069642

दिनांक 31.3.2015 को रोकड़ वही एवं बैंक में शेष निम्नलिखित है:—

Name of Fund	KCCB & UCO Bank Rangas	Cash Book Balance	Pass Book Balance	Fixed Deposit	Difference
S.W.F	KCCB 20150006181	580121	47297	532824	-
Development Fund	UCO 5517	811559	241181	570378	-
T & P	UCO 5521	191123	133701	57422	-
Water & Electicity	KCCB 20150011523	222005	222005	-	-
Library	UCO 5520	63235	63235	-	-
Medical	UCO 5518	304780	147826	156954	-
Security	UCO 5514	211172	102818	108354	-
Examination	UCO 5519	303033	149905	153128	-

Identity	UCO 5515	24070	24070	-	-
Computer	UCO 5522	319049	319049	-	-
PNTC	KCCB 2015001311	39495	39465	-	30 (Cash in Hand)
	Total	**3069642**	**1490552**	**1579060**	**30**

(ख) निवेशः–

विभिन्न निधियों से सावधि जमा के रूप में किए गए निवेश का विवरण निम्नलिखित हैः–

Name of Fund	F.D.R No. (KCCB)	Invested Amount	Date of Investment	Maturity Value	Date of Maturity
S.W.F	953523	392376	27.10.14	428900	26.10.15
	953524	140448	25.10.14	153521	24.10.15
Development	820365	34438	25.10.14	37644	24.10.15
Fund	820366	535940	25.10.14	585827	24.10.15
T & P	820369	57422	25.10.14	62767	24.10.15
Medical	820367	156954	25.10.14	171564	25.10.15
Security	953525	108354	27.10.14	118440	26.10.15
Examination	820368	153128	25.10.14	167382	24.10.15
कुल निवेशित राशि	**₹1579060**				

(ग) निवेश रजिस्टर तैयार न करनाः–

अंकेक्षण में पाया कि संस्थान द्वारा सावधि जमा में निवेशित राशि की प्रविष्टियां निवेश रजिस्टर में नहीं की गई थी, जिससे इनके दुरूपयोग की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः सावधि जमा में निवेशित समस्त राशि की प्रविष्टियां निवेश रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें।

5. रोकड़ वहियां नियमों के अनुसार तैयार न करना :–

जाँच में पाया कि विभिन्न छात्र निधियों की रोकड़ वहियां (Cash Books) हि0 प्र0 वित्त नियम–1971, Vol-1 के नियम 2.2 के अनुसार तैयार नहीं की गई थी अर्थात महीने के अन्त में रोकड़ वही में शेष राशि एवं प्रविष्टियों को नियमित रूप में आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था और न ही माह के अन्त में बैंक के शेश से

रोकड़ वही के शेश का मिलान किया गया था। जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं रोकड़ वहियों को समय–समय पर प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए एवं भविष्य में नियमों के अनुसार ही रोकड़ वहियां तैयार करना सुनिश्चित करें।

6. कम्प्यूटर फीस/निधि के रूप में ₹900 की कम वसूली करना :–

जाँच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2014–15 में 9 विद्यार्थियों से रसीद संख्या 12128 से 12136 दिनांक 12.8.2014 द्वारा ₹500 प्रति छात्र की दर से कुल ₹4500 की वसूली की गई थी एवं कम्प्यूटर निधि खाते में जमा किए गए थे, जबकि नियमों के अनुसार वर्ष 2014–15 में कम्प्यूटर फीस/निधि के रूप में ₹600 प्रति स्मैस्टर प्रति विद्यार्थी वसूलने आपेक्षित थे। इस प्रकार वर्ष 2014–15 में ₹900 कम्प्यूटर फीस/निधि के रूप में कम वसूले गए थे। जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अविलम्ब ₹900 की वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि खाते में जमा की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7. कम्प्यूटर फीस/निधि के रूप में वसूली राशि ₹1800 को जमा न करवाना :–

जाँच में पाया कि वर्ष 2014–15 में 4 विद्यार्थियों से कम्प्यूटर फीस/निधि के रूप में ₹1800 वसूल किए गए थे एवं प्रतिदिन प्राप्ति रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 83 पर दर्ज की गई थी, लेकिन बैंक खाते में जमा नहीं करवाए गए थे जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

छात्र का नाम	रसीद संख्या	दिनांक	राशि (₹)
अनु	12122	13.08.2014	600.00
पंकज	12123	13.08.2014	600.00
रोहित	12124	14.08.2014	300.00
अभिषेक	12125	14.08.2014	300.00

अतः यह एक अत्यन्त गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अंकेक्षण द्वारा आपत्ति उठाने पर सम्पूर्ण राशि ₹1800 की वसूली चूककर्ता से करके दिनांक 05.08.2015 को सम्बन्धित निधि खाते में जमा कर दी गई थी एवं इसकी पुष्टि भी अंकेक्षण के दौरान कर ली गई थी। अतः भविष्य में इस प्रकार की गम्भीर अनियमितताओं को न दोहराया जाए।

8. ₹2320 को सम्बन्धित निधि खातों में जमा न करना :–

अंकेक्षण में पाया कि वर्ष 2013–14 में संस्थान में अध्ययनरत विद्यार्थियों से ₹2320 विभिन्न निधियों के रूप में निम्नलिखित रसीदों के अन्तर्गत वसूली गई थीः–

विद्यार्थी का नाम	रसीद संख्या	दिनांक	राशि (₹)
अरूण	11084	02.04.2013	50.00
अमनीश	11085	02.04.2013	50.00
रितू राज	11372	31.08.2013	30.00
ज्योति	11373	31.08.2013	30.00
संजीव	11374	31.08.2013	30.00
	11382 से 11400 (19x100)	11.09.2013	1900.00
	11401 से 11402 (2x100)	12.09.2013	200.00
अनिल	11403	12.09.2013	30.00
		कुल राशि	**2320.00**

जाँच में पाया कि उक्त राशि का इन्द्राज निधि प्राप्ति रजिस्टर में नहीं किया गया था एवं इस राशि को सम्बन्धित निधि खाते में जमा करने सम्बन्धित अभिलेख भी अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए, जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है एवं दुरूपयोग की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः संस्थान द्वारा यह स्पष्ट किया जाए कि उक्त वसूली गई राशि किस निधि खाते में जमा की गई थी अन्यथा ₹2320 की वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि खाते में जमा करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएं।

9. माह जुलाई 2012 में निधियों के रूप में वसूल की गई राशि में से ₹1515 कम जमा करवाना :–

जाँच के दौरान पाया कि माह 07/2012 में छात्रों से निधियों के रूप में कुल ₹170070 की वसूली की गई थी, लेकिन इसमें से केवल ₹168555 की छात्र कल्याण निधि खाते में जमा करवाए गए थे। इस प्रकार ₹1515 निधि खाते में कम जमा करवाए गए थे, जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

निधि का नाम	माह	प्रतिदिन प्राप्ति रजिस्टर पृ0 सं0	वसूली राशि	दिनांक	जमा राशि	कम जमा राशि
I Card	07/12	22	2100	-	-	-
S.W.F	07/12	22	10500	-	-	-
Building	07/12	22	21000	-	-	-
Medical	07/12	22	8400	-	-	-
Examination	07/12	22	8400	-	-	-
T & P	07/12	22	4200	-	-	-
Library	07/12	22	2100	10.7.12	155820	-
Insl. Security	07/12	22	21000	-	-	-
Water & Elect.	07/12	22	21000	-	-	-
PNTC/NTC	07/12	22	2520	-	-	-
Computer Fee	07/12	22	42000	-	-	-
LIC	07/12	22	4200	-	-	-
Registration Fee	07/12	22	8400	-	-	-
S.W.F	07/12	25	5250	-	-	-
LIC	07/12	25	3000	17.7.12	8250	-
Registration Fees	07/12	25	6000	9.7.12	4485	1515
		कुल	**170070**		168555	1515

अतः निधियों के रूप में वसूल की गई राशि को कम जमा करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अविलम्ब ₹1515 की प्रतिपूर्ति चूककर्ता से करके सम्बन्धित निधि खाते में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

इसके अतिरिक्त उक्त वसूली गई विभिन्न निधियों की राशि ₹168555 एक ही निधि खाते (छात्र कल्याण निधि) में जमा करवाए दिए गए थे, जोकि एक अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप यह ज्ञात करना मुश्किल है कि किसी निधि विशेष में एक निश्चित अवधि में कितनी राशि उपलब्ध है एवं कितनी राशि को छात्रों के कल्याण हेतु खर्च किया जा सकता है। अतः नियमों की अवहेलना करके समस्त निधियों के रूप में वसूल की गई राशि को एक ही निधि खाते (छात्र कल्याण निधि) में जमा करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अविलम्ब ₹168555 की राशि छात्र कल्याण निधि से निकालकर सम्बन्धित

निधि खातों में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार के प्रकरणों को न दोहराया जाए।

10. ₹1,97,490 के विभिन्न निधि खातों में जमा राशि से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारेः–

जाँच में पाया कि रसीद संख्या 11001 से 11057 द्वारा दिनांक 8.8.2012 से 21.9.2012 तक विभिन्न निधियों एवं फीस के रूप में संस्थान में अध्ययनरत विद्यार्थियों से ₹197490 की राशि एकत्रित की गई थी जिसकी प्रविष्टियां प्रतिदिन प्राप्ति रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 26 एवं 27 में की गई थी, लेकिन इस राशि को सम्बन्धित निधि खातों की रोकड़ वहियों में दर्ज नहीं किया गया था एवं न ही बैंक में जमा सम्बन्धित प्रविष्टियां उपलब्ध थी, जिसकी स्थिति स्पष्ट करने को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 105 दिनांक 3.8.2015 द्वारा प्रधानाचार्य से अनुरोध किया गया था, लेकिन इस सन्दर्भ में अंकेक्षण समाप्ति तक उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस राशि को बैंक में जमा न करवाकर दुरूपयोग किया गया था। अतः संस्थाध्यक्ष को सुझाव दिया जाता है कि इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित राशियों को उचित स्त्रोत से वसूल करके सम्बन्धित निधियों में जमा करवाना सुनिश्चित करें।

निधि का नाम	एकत्रित राशि
I Card	1025.00
S.W.F	9625.00
Building Fund	19250.00
Medical	7700.00
Examination	7000.00
T & P	4550.00
Library	1925.00
Security	12500.00
Admission Fees	2700.00
Tution Fees	60000.00
Water & Electricity	19250.00
Provisional Certificate	1500.00
Computer Fee	38500.00
LIC	6965.00

Registration Fee		5000.00
	Total	**1,97,490.00**

11. विभिन्न निधियों के रूप में वसूल की गई राशि ₹23700 को छात्र कल्याण निधि में जमा करवाने के सन्दर्भ में:–

जाँच के दौरान पाया कि माह 07/2014 में विभिन्न निधियों के रूप में ₹23700 की वसूली गई राशि को छात्र कल्याण निधि में जमा करवाया गया था, जिसका विस्तारपूर्वक विवरण निम्नलिखित है:–

निधि का नाम	प्रतिदिन प्राप्ति रजिस्टर पृष्ठ संख्या	राशि(₹)
बीमा (LIC)	71	5000.00
रजिस्ट्रेशन फीस	71	10000.00
बीमा (LIC)	74	1200.00
रजिस्ट्रेशन फीस	74	2400.00
बीमा (LIC)	80	1700.00
रजिस्ट्रेशन फीस	80	3400.00
	कुल राशि	**₹23700.00**

यह एक गम्भीर अनियमितता है जिसके परिणामस्वरूप यह ज्ञात करना अत्यन्त दुलर्भ है कि जिस निधि विशेष की राशि छात्रों से वसूली गई थी, उसी निधि विशेष के उद्धेश्यों के अनुसार प्रयोग में लाया जा रहा है या नहीं। अतः नियमों के विपरीत अन्य निधियों के रूप में वसूल की गई राशि को छात्र कल्याण निधि में जमा करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अविलम्ब उक्त राशि ₹23700 को छात्र कल्याण निधि खाते से निकालकर सम्बन्धित निधि खातों में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। भविष्य में इस प्रकार के प्रकरणों को न दोहराया जाए।

12. छात्रावास के सन्दर्भ में:–

(i) छात्रावास से सम्बन्धित आय–व्यय के रख–रखाव हेतु महत्वपूर्ण अभिलेख तैयार न करना:–

अंकेक्षण के दौरान पाया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में छात्र एवं छात्राओं के रहने के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन छात्रावास से सम्बन्धित आय–व्यय का रख–रखाव हेतु नियमों के अनुसार रोकड़ वही तैयार नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप

छात्रावास से सम्बन्धित आय–व्यय की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी एवं इसके अभाव में राशि के दुरूपयोग की सम्भावना को भी नकारा नहीं जा सकता। अतः नियमों के अनुसार रोकड़ वही तैयार करके समस्त आय–व्यय की प्रविष्टियां इसमें करना सुनिश्चित करें एव अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाए। दिनांक 31.3.2015 को छात्रावास के बैंक खाते का विवरण निम्न प्रकार से थाः–

खाता संख्या	बैंक	दिनांक	राशि(₹)
50050050073	कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक, रंगस	31.3.2015	86087

(ii) छात्रावास धरोहर राशि के रूप में ₹5400 की वसूली न करनाः–

जाँच में पाया कि छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों से सम्बन्धित अभिलेखों को नियमों के अनुसार तैयार नहीं किया गया था, जिससे इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि किसी निश्चित अवधि में कितने विद्यार्थियों ने छात्रावास लिया था एवं कितनी राशि छात्रावास शुल्कों के रूप में प्राप्त की गई थी। अतः नियमों के अनुसार अभिलेखों को तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं भविष्य में समस्त अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित करें। अंकेक्षण में पाया कि छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों से छात्रावास धरोहर राशि के रूप में ₹600 प्रति विद्यार्थी की वसूली की जानी आपेक्षित थी जबकि निम्नलिखित रसीदों की जांच में पाया कि छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों से धरोहर राशि के रूप में ₹600 प्रति छात्र के रूप में कुल ₹5400 की वसूली नहीं की गई थी।

क्र0 सं0	विषय	सत्र	छात्र का नाम	रसीद सं0	दिनांक
1.	Fitter	2012-13	श्री शुभम चौहान	10625	16.01.2013
2.	Fitter	2012-13	श्री रीसी कुमार	10626	16.01.2013
3.	Fitter	2012-13	श्री आकाश कुमार	10627	16.01.2013
4.	Fitter	2012-13	श्री लोकेश कुमार	10628	16.01.2013
5.	Fitter	2012-13	निखिल कुमार	10629	16.01.2013
6.	Fitter	2012-13	श्री रवि कुमार	10630	16.01.2013
7.	Fitter	2012-13	श्री गौरव	10631	16.01.2013
8.	M.M.V	2012-14	श्री मोहितेश्वर राणा	10633	13.09.2013
9.	M.M.V	2012-14	सिद्धार्थ	10634	13.09.2013

अतः उक्त वर्णित विभिन्न विषयों के विद्यार्थियों से छात्रावास धरोहर राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं भविष्य में नियमों के अनुसार समस्त वसूलियां करके सम्बन्धित खातों में जमा करना सुनिश्चित करें।

13. ₹339060 फीस व निधियों के रूप में वसूल की गई राशियों को हस्तागत रूप में रखने व देरी से खातों में जमा करने के सन्दर्भ में:–

जाँच में पाया कि विद्यार्थियों से ₹339060 फीस व निधियों की वसूल की गई राशियों को हस्तागत रूप में रखा गया था, जिसका विस्तारपूर्वक विवरण निम्नलिखित है:–

प्रतिदिन प्राप्ति रजिस्टर पृष्ठ सं0	वसूल की गई राशि	वसूली की दिनांक	जमा करने की दिनांक	जितने दिन देरी से जमा करवाई
22 से 25 पृष्ठ	247650	10.07.2012	18.07.2012	8 दिन
48 से 51 पृष्ठ	91410	08.08.2013	17.08.2013	9 दिन
कुल राशि	**339060**			

इस प्रकार वसूल की गई राशियों को हस्तागत रूप में रखने व देरी से जमा करवाने के कारण संस्थान को ब्याज के रूप में प्राप्त राशि से वंचित होना पड़ा। अतः नियमों के विपरीत इतनी अधिक राशि हस्तागत रूप में रखने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा इस राशि पर दण्ड ब्याज की गणना करके इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित निधि खातों में जमा की जानी सुनिश्चित करें। अतः संस्थान प्रशासन को यह परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में फीस व निधियों के रूप में वसूली गई राशि को यथासमय सम्बन्धित निधि खातों में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि ब्याज के रूप में होने वाली वित्तीय हानि से बचा जा सके।

14. छात्र निधियों से ₹35058 का अनुचित भुगतान:–

अंकेक्षण अवधि में छात्र निधियों से किए गए व्ययों की जांच में पाया कि बिजली के बिलों का भुगतान छात्र कल्याण निधि से किया गया था, जोकि छात्र निधियों पर उचित प्रभार नहीं है। अतः इसकी प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें। बिजली के बिलों का विवरण निम्नलिखित है:–

माह	निधि का नाम	भुगतान का विवरण	राशि(₹)
04/2012	S.W.F	Bill No. 001069 Dated 23.04.12 HPSEB, Rangas	13488

S.W.F Bill No. 00153591 Dated 08/12 21570
HPSEB, Rangas

कुल राशि ₹35058

अतः उक्त अवधि के अतिरिक्त अन्य माहों में किए गए इस प्रकार के व्ययों की गणना अपने स्तर पर करके उनकी प्रतिपूर्ति भी उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाए।

15. व्यय से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करनाः—

अंकेक्षण अवधि में छात्र कल्याण निधि से किए गए व्ययों की जांच में पाया कि रोकड़ वहीं में दिनांक 29.6.2012 को ₹18195 की भुगतान राशि मैं0 बन्सल उद्योग को बिल संख्या 7042 दिनांक 12.11.2012 के एवज में चैक संख्या 861430 दिनांक 21.6.2012 द्वारा की गई दर्शाई थी, लेकिन इस भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए एवं न ही उक्त बिल द्वारा क्रय सामग्री की भण्डार प्रविष्टियां जांच हेतु प्रस्तुत की गई थी। जिसके अभाव में व्ययों की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी। अतः आगामी अंकेक्षण में उक्त व्यय से सम्बन्धित समस्त अभिलेख एवं भण्डार प्रविष्टियां जांच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा इसकी वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से दण्ड ब्याज सहित वसूल करें।

16. नियमों के अनुसार व्ययों से सम्बन्धित अभिलेखों का रख—रखाव न रखने बारेः—

जाँच में पाया कि संस्थान द्वारा व्ययों से सम्बन्धित अभिलेखों का रख—रखाव अस्त—व्यस्त तरीके से किया गया था, जिससे अंकेक्षण के दौरान छात्र निधियों से किए गए व्ययों से सम्बन्धित अभिलेख संस्था द्वारा सहीं ढंग से उपलब्ध नहीं करवाया गया। हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 1971, Vol-1 के नियम 2.20 एवं 2.21 के अनुसार प्रत्येक व्यय से सम्बन्धित अभिलेखों पर एक वाउचर संख्या अंकित करना अनिवार्य है एवं इसका सन्दर्भ रोकड़ वही में भी देना अनिवार्य है, जिससे व्यय से सम्बन्धित समस्त अभिलेख तुरन्त उपलब्ध किया जा सकें। अतः नियमों के अनुसार अभिलेखों का रख—रखाव न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए एवं भविष्य में नियमों के अनुसार Vouching system को अपनाया जाए।

17. भण्डार का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन न करनाः—

अंकेक्षण में पाया गया कि संस्थान द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान एवं इससे पूर्व की अवधि में भण्डार में पड़े सामान का वार्षिक प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था, जबकि यह प्रत्येक वर्ष के अन्त में किया जाना आपेक्षित होता है। अतः नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई

करके अनुपालना को आगामी अंकेक्षण में दर्शाया जाए तथा भविष्य में यह प्रक्रिया हर वर्ष अपनाई जानी सुनिश्चित करें।

18. **लघु आपत्ति विवरणीः—** छोटी—छोटी आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान ही कर दिया गया एवं यह अलग से जारी नहीं की गई।

19. **निष्कर्षः—** संस्थान के निधि लेखाओं के रख—रखाव में अत्यन्त सुधार के अतिरिक्त आंतरिक जाँच प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

हस्ता/—
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(2)(सी)(15)xi (vi)-65/89 खण्ड—2—690—692 दिनांक,28.01. 2016 शिमला—09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :—

1 सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला—171002
2. निदेशक , तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्दनगर, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश

पंजीकृतः— 3. प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रैल (नादौन), जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/—
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.